

FORM NO. III



फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम मण्डावर(दोसा)

पप्पू वगैरह बनाम जगदीश वगैरह

किस्म मुकदमा - प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 मु.न. 822/2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
05.12.2025	<p>यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री कालीचरण मीना ने दावा बाबत उदघोषणा इन्द्राज दुरुरती एवं स्थाई निषेधाज्ञा मु.नं. 52/23 उनवान पप्पू वगैरह बनाम जगदीश वगैरह को पुनः नम्बर पर लेने वास्तु प्रस्तुत किया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र पर बहस करने का निवेदन किया प्रार्थी वकील की बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर पत्रावली वास्तु आदेश प्रार्थना पत्र दिनांक 19.12.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दोसा) </p> <p>19.12.25 को अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली रजिस्ट्रार दिनांक 16.1.26 को पेश हो।</p> <p>16.1.26 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी अन्य राज्य कार्य में व्यस्त होने से आदेश प्र. पत्रावली पर लिखवाया जा नहीं सका। पत्रावली रजिस्ट्रार वास्तु आदेश प्र. पत्रावली पर दिनांक 13.3.26 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दोसा) </p> <p>13.03.26 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी को प्र. पत्रावली पर लिखवाया जा नहीं सका। दावा बाबत उदघोषणा, इन्द्राज दुरुरती एवं स्थाई निषेधाज्ञा मु.नं. 52/23 उनवान पप्पू बनाम जगदीश वगैरह दिनांक 20.10.25 को जारी की अदम हजरी व अदम पेशगी में शामिल</p>	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

तारीख
हुकम

..... यम्पू काँ. बनाम जगादीश काँ.
मु.नं.- 822/25 किस्म - ^{जा.पत्र} 06Rd/42

हो गया था। उक्त कार्यवाही को अपाल्ट कर प्लान को समुचित सुधारों का अवसर दिये जाने बाबत पेश किया।

जा.पत्र 06Rd/42 पर कठोर अर्थों की बहस का मसल किया। जा.पत्र 06Rd/42 का सर्वे पत्रावली का अनलोकन किया। अर्थों का जा.पत्र अर्न्तगत 06Rd/42 बाबत पत्रावली का मु.नं. 52/23 उक्त यम्पू यम्पू काँ. बनाम जगादीश काँ. को मुनः नम्बर पर लेने स्वीकार किया जाता है। पत्रावली सुधारों को मुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली कोसल सुधार लेकर कोषाला इफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)